RTI Matter/Time Bound

F. No. II. 18015/33/2013-NM III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)

North Block, New Delhi
Dated the 28th June, 2013

To,

Shri Ajay Kumar
Village & P.O. – Mohalla Bhatan Tola
Nagar Panchayat Nagaram
Distt. – Lucknow (U.P.)

Sub: Information sought under the RTI Act, 2005 vide your application dated 14.6.2013.

Please refer to this Ministry's O.M. No. A-43020/01/2013-RTI dated 20.6.2013 regarding the above mentioned subject.

2. Available information on point nos. (1) to (5) of the above said application is furnished as under:-

2.1 'Police' and 'Public Order' are State subjects and action with respect to maintenance of law and order primarily lies in the domain of the State Governments concerned, who deal with the various issues related to Left Wing Extremist (LWE) activities in the States. The Central Government closely monitors the situation and supplements the efforts of the State Governments over a wide range of security and development related measures, inter-alia, including reimbursement of expenditure incurred by the State Governments on Anti-Naxal Operations under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme.

2.2 **Based on violence profile**, presently 106 districts in 9 LWE affected States are covered under the SRE Scheme. So far, since its inception in 1996, a sum of ₹ 1235.87 crore has been released under the SRE Scheme.

3. A copy of your application is forwarded to other CPIOs of this Ministry for providing the available information to you directly.

4. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi – 110 001.

(Shantanu)
Director & CPIO

contd. 2/-

Copy to:-

1. Shri Daljit Singh Chawdhary, Dir (ANO-I) & CPIO, MHA, North Block along with a copy of the application for providing the available information as sought therein the application directly to the applicant.

2. Shri Deepak Kumar Kedia, Dy. Secy. (ANO) & CPIO, MHA, North Block along with a copy of the application for providing the available information directly to the applicant.

3. Shri K.S. Kusala Kumar, DS (NM-II) & CPIO, MHA, North Block along with a copy of the application for providing the available information directly to the applicant.

4. Shri S. Samanta, US (RTI), MHA, North Block for information w.r.t. O.M. No. A-43020/01/2013-RTI dated 20.6.2013.

<u>आर टी आई मामला/समयबद्ध</u>

फा. सं. II. 18015/33/2013-एन एम III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(नक्सल प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2013

सेवा में

श्री अजय कुमार
ग्राम एवं डाकघर-मोहल्ला भाटन टोला,
नगर पंचायत नगरम,
जिला-लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 14.6.2013 के आवेदन के तहत मांगी गई सूचना।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 20.6.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई का अवलोकन करें।

2. ऊपर उल्लिखित आवेदन के मुद्दा सं. (1) से (5) के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है:-

2.1 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित गतिविधियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से निपटती हैं। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है तथा सुरक्षा एवं विकास से संबंधित अनेक उपायों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अंतर्गत, नक्सल-रोधी अभियानों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।

2.2 **<u>हिंसा की स्थिति के आधार पर</u>**, वर्तमान में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 106 जिले एस आर ई योजना में शामिल हैं। 1996 में इसकी शुरूआत से अब तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को एस आर ई योजना के अंतर्गत 1235.87 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है।

3. आपके आवेदन की प्रति, इस मंत्रालय के अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अग्रेषित की गई है जिससे कि उपलब्ध सूचना आपको सीधे मुहैया कराई जा सके।

...क्रमश: 2/-

4. अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकती है और इस सूचना के संबंध में अपील, श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को की जा सकती है।

Sd/-
(शांतनु)
निदेशक एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रति प्रेषित:-

1. श्री दलजीत सिंह चौधरी, निदेशक (एन एन ओ-I) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को, आवेदन में मांगे गए अनुसार उपलब्ध सूचना सीधे आवेदक को मुहैया कराने के लिए आवेदन की प्रति सहित।
2. श्री दीपक कुमार केडिया, उप सचिव (एन एन ओ) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदक को उपलब्ध सूचना सीधे मुहैया कराई जा सके।
3. श्री के. एस. कुशल कुमार, उप सचिव (एन एम.।।) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदक को उपलब्ध सूचना सीधे मुहैया कराई जा सके।

4. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को दिनांक 20.6.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

4060/RTI/2013
20/6/13

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
18 JUN 2013
के.र.सं. 804
C.R. No.
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Section/North Block

सेवा में,

श्रीमान जनसूचनाधिकारी/प्रमुख सचिव
गृह भारत सरकार नई दिल्ली

विषय–: प्रार्थी को शोधकार्य हेतु सूचनाधिकार अधिनियम –2005 के तहत सूचना प्रदान करने हेतु प्रार्थना–पत्र–:

महोदय,

मैं प्रार्थी ग्रामीण विकास का शोध छात्र हूँ मुझे अपने शोधकार्य हेतु निम्नलिखित सूचनायें प्रदान करने की कृपा करें ।

1– नक्सलवादी गतिविधियों के प्रारम्भ से आज तक कितने पुलिस बल सी.आर.पी.एफ. एवं अन्य सुरक्षा बलो द्वारा कितने अभियान इनके खिलाफ चलाये गये एवं प्रत्येक अभियान कब से कब तक चला एवं किन–किन राज्यों मे चला और उन पर कितना धन खर्च हुआ तथा उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए संक्षेप मे बतायें।

2– नक्सलवादी गतिविधियों के प्रारम्भ से अब तक कितनी जन जागरूकता विकासात्मक एवं अन्य उपाय नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए किये गये है। प्रत्येक उपाय कब से कब तक अपनाये गये एवं इन पर कितना धन खर्च हुआ तथा क्या परिणाम निकला संक्षेप मे बतायें।

Dir (NM)

3– अब तक योजना आयोग, अन्य किसी संगठन ,किसी संस्थान एवं व्यक्ति के द्वारा नक्सलवादी गतिविधियों पर किए गये अध्ययनो के क्या परिणाम आये है तथा ये अध्ययन कब तथा किय– किस के द्वारा किये गये है संक्षेप मे बतायें।

4– नक्सलवाद बढ़ने के पीछे हमारी सरकार क्या कारण मानती है। एवं इसकी सही परिभाषा आप की दृष्टिकोण मे क्या है। संक्षेप मे बतायें।

5– किसी भी राज्य, जिला व गॉव को नक्सलवाद से प्रभावित घोषित करने के आपके क्या मानक है। संक्षेप मे बतायें।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना अतिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी अपना शोध कार्य अतिशीघ्र पूरा कर सके ।

आपकी महान कृपा होगी ।

प्रार्थी

Ajay Kumar

दिनॉक-:14.06.2013

अजय कुमार पुत्र श्री महराजदीन वर्मा
शोध छात्र
मॉ.गा.चि.ग्रा.वि.वि.चि.सतना (मध्यप्रदेश)
सूचना देने का पता-:ग्राम व पोस्ट-:मोहल्ला भाटन टोला,
नगर पंचायत नगराम जनपद-: लखनऊ उ0प्र0

संलग्न-:

1. विश्वविद्यालय कि विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र की छायांप्रति।
2. विश्वविद्यालय के आई.कार्ड. की छायांप्रति ।
3. 10 रूपयें का पोस्टल आर्डर साथ में संलग्न हैं । 06F 811070

नोट- आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि सम्भव हो तो सभी बिन्दुओं का उत्तर क्रमवार हिन्दी भाषा मे देने का कष्ट करें।

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना म0 प्र0

डॉ0 अमरजीत सिंह

विभागाध्यक्ष

ग्रामीण प्रबन्धन विभाग

क्र0 RDBM/13/265 दिनांकः 07.03.2013

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र श्री महराजदीन वर्मा इस विश्वविद्यालय के एक पंजीकृत शोध छात्र हैं, जो **"ग्रामीण विकास के समक्ष उपस्थित नक्सलवादी समस्या के समाधान हेतु गाँधीवादी चिन्तन का रचनात्मक विकल्प " (उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के विशेष संदर्भ में)** विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं। ये अपने शोध कार्य से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन के लिए विभिन्न पुस्तकालयों, ग्रन्थालयों एवं प्रशासकीय, संगठनों में सम्पर्क करेंगे।

अतः कृपया शोध छात्र अजय कुमार को उसके शोध कार्य सम्पादन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

(डॉ0 अमरजीत सिंह)

Head of Department

Rural Management RD & BM

MGCGV, Chitrakoot, Satna (M.P.)

Identity-Card (Not Transferable)

MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
CHITRAKOOT, SATNA (M.P.)

Name in Full: AJAY KUMAR

Date of Birth: 03-03-1982

Course/Class: Ph.D

Session/Duration: 2010-11

Faculty: [illegible]

(i) Blood group: A B+

(ii) Diabetic or not

(iii) Chronic illness, if any

Signature of Chief-Proctor

Permanent address and telephone No.: Vill. And Post [illegible] Dist. [illegible] U.P. 09584396545

Current address and telephone No.: [illegible] 09584396545

Instruction :

- Always keep this Identity Card in and out of the campus.
- Inform hastily to proctor Office in case of loss and damage of Identity Card.
- Identity Card be deposited or cancelled by the Chief- Proctor if needed.

Chief-Proctor